



कार्यालय, नगर पालिका निगम कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय – संपदा शाखा, साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

फोन नं. 221288–222672, फैक्स :- 07759–221288, 221929

Website: www.korbamunicipal.in, Email Id-corporationkorba@gmail.com

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनांतर्गत विभिन्न वर्ग के रिक्त दुकानों का आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना

नगर पालिका निगम कोरबा द्वारा राज्य शासन की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनांतर्गत निम्नलिखित तालिका में दर्शाए अनुसार विभिन्न वर्ग के रिक्त कुल 20 दुकानों को 03 वर्ष की लीज पर आबंटन हेतु दिनांक 30.12.2022 से 30.01.2023 तक पात्र हितग्राहियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र रूपये 100/- शुल्क जमा कर नगर पालिका निगम कोरबा के संपदा शाखा से प्राप्त की जा सकती हैं।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के युवक / युवती जिनके पास स्वयं का कोई रोजगार साधन नहीं है तथा जिनके अभिभावक व पालक की आय एक लाख रूपये प्रतिवर्ष तक की है, इस योजनांतर्गत दुकानों के आबंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु पात्र होंगे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र तथा आरक्षित वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र व निगम क्षेत्र में निवास का प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज आवेदक, आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर राशि रु. 5000/- की जमा अमानत राशि की रसीद की प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदनों में दुकानों का आबंटन हेतु आवंटितियों का चयन जिला रत्तीय समिति के द्वारा किया जावेगा। चयनित हितग्राहियों द्वारा जमा अमानत राशि दुकान के सुरक्षा निधि में समायोजन कर लिया जावेगा। चयनित हितग्राहियों को यथा-स्थिति दुकान आबंटन पश्चात आधिपत्य के पूर्व सुरक्षा राशि के मद में रु. 5000/- निगम कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

क्र.	रिक्त दुकान की कुल संख्या	दुकान क्रमांक	क्षेत्रफल वर्गफीट में	आरक्षण वर्ग	मासिक किराया
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनांतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर (अटल आवास के समीप) दर्री काम्पलेक्स की रिक्त					
1 20	01, 20	8 x 10	अनुजाति	1250	
	04, 08	8 x 10	विधवा/परित्यकता महिला	1250	
	13	8 x 10	मूतपूर्व सैनिक	1250	
	12	8 x 10	शिक्षित बेरोजगार	1250	
	03	8 x 10	महिला	1250	
	02, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19	8 x 10	अनरक्षित	1250	

शर्त :-

- उपरोक्त स्थल की दुकानों का मासिक किराया 1250/- एवं लीज अवधि तीन वर्ष रहेगी।
- दुकानों को यथा स्थिति आधिपत्य में लेना होगा।
- आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र तथा अमानत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदन विचार योग्य नहीं होगा।
- दुकान आबंटन की विशेष जानकारी/शर्त नगर पालिका निगम कोरबा कार्यालय के संपदा शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

Khal
अपर आयुक्त
नगर पालिका निगम
कोरबा (छ.ग.)